प्रकरण संख्या 06 / 2018 2018 / 00071 तारीख रजु–02.08.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल
2. मोती
3. भूरा
4. हरिसिंह
5. मोहनजी

पुत्रान बण्डो पुत्री भौरूलाल जाति गूजर निवासी बिसोरी (बहादुरपुर) तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.)

6. उगंती पत्नि रामजीलाल पुत्री बण्डो पुत्री भौरूलाल नि. बहादुरपुर
7. गुलकंदी पत्नि स्व. भूरा पुत्री बण्डो पुत्री भौरूलाल नि. बहादुरपुर

हाल निवासी आलमपुर महोली तहसील करौली

8. सुक्को पत्नि रमेश पुत्री बण्डो नि. बहादुरपुर हाल निवासी छाजा की बगीची, गंगापुर सिटी
9. रामस्वरूप
10. रामप्रसाद
11. पप्पू
12. गोपाल

पुत्रान ल्होरी पुत्री भौरूलाल जाति गूजर निवासी बिसोरी (बहादुरपुर) तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.)

13. सरूपी पत्नि स्व0 हल्के पुत्र ल्होरी पुत्री भौरूलाल जाति गूजर निवासी बिसोरी (बहादुरपुर)
14. पूरण
15. निहालसिंह
16. भगवानसिंह

पुत्रान हल्के पुत्र ल्होरी पुत्री भौरूलाल जाति गूजर निवासी बिसोरी (बहादुरपुर) तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.)

17. भूरसिंह पुत्र रामाश्री पुत्री ल्होरी पुत्री भौरूलाल नि. बहादुरपुर तहसील सपोटरा
18. बालू
19. संजय

पुत्रान रामाश्री पुत्री ल्होरी पुत्री भौरूलाल नि. बहादुरपुर तहसील सपोटरा हाल निवासी बड़ौदा गुर्जर तहसील गंगापुर सिटी

– अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक–04.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कियह प्रार्थना पत्र तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) मण्डरायल ने धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मरौना तहसील मण्डरायल जिला करौली में नामांतरकरण संख्या 46 निर्णय दिनांक 24.05.2017 तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अनभिज्ञता से गलत निर्णय हो जाने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नींदर जमाबंदी संवत् 2044–47 में खाता संख्या 201 भैंरोलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम मजरा मरौना के खाते में किता–5 रकबा 12–11 बीघा कृषि भूमि अंकित थी। जमाबंदी संवत् 2048–2051 में ग्राम नींदर में खाता संख्या 203 किता 5 रकबा 12–11 बीघा भैरोलाल पुत्र दयाकिशन के बजाय सहवन लिपिकीय त्रुटि से भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम मजरा मरौना के नाम अंकित हो गयी थी। जमाबंदी संवत् 2052–55 में खाता संख्या 216 किता–5 रकबा 12–11 बीघा पूर्व जमाबंदी रोटेशन के अनुसार खातेदार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन निवासी ग्राम मजरा मरौना के नाम अंकित थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(31)राज–1 / 06 / 21 दिनांक 05.06.2009 के अनुसार मुख्य ग्राम नींदर से मरौना नवीन राजस्व ग्राम सृजित हुआ था। संवत् 2072–75 में नवीन ग्राम मरौना सृजित होने से खाता संख्या 54 किता 5 रकबा 12–11 बीघा खातेदार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गुर्जर निवासी मरौना के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित था। ग्राम मरौना में नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 को राजस्व शिविर में भौरूलाल के वारिसान रामजीलाल मोती भूरा हरिसिंह मोहनजी पुत्रान बण्डो उगंती गुलकंदी सुक्को पुत्रियां बण्डो पुत्री भौरूलाल हिस्सा 1/2 रामस्वरूप रामप्रसाद पप्पू गोपाल पुत्रान

ल्होरी पुत्र भौरूलाल हिस्सा 1/3 सरूपी पत्नि स्व0 हल्के पूरण निहालसिंह भगवानसिंह पुत्रान हल्के पुत्र ल्होरी हिस्सा 1/12 भूरसिंह बालू संजय पुत्रान रामाश्री पुत्री ल्होरी हिस्सा 1/12 जाति गूजर निवासी बिसोरी बहादुरपुर के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हो चुका था। मौके पर जानकारी करने पर पटवारी हल्का व भू–अभि. निरीक्षक तथा सरपंच ग्राम पंचायत नींदर के फर्द मौका अनुसार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं था जबकि भौरूलाल पुत्र रतन गूजर नाम का व्यक्ति था जिसके कोई संतान नहीं थी। इसकी बहन बण्डो व ल्होरी थी जिनकी ससुराल बिसोरीबहादुरपुर में थी जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज वारिसाान शजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया जाकर राजस्व अभियान शिविर में दबाव बनाते हुए नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया गया था। जिससे भैरोलाल पुत्र दयाकिशन के वारिसान का सम्पूर्ण हक समाप्त होने व गलत नामान्तरकरण दर्ज होने से उक्त नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य है। भैरोलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर के जायज वारिसान रामफूल रामप्रसाद रामसिंह पुत्रान भैरोलाल भन्ती प्यारो पत्रियां भैरोलाल छगनी पत्नि स्व0 भैरोलाल है जो वर्तमान में सभी जीवित है। रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) पदाधिकारी ग्राम पंचायत नींदर द्वारा भौरू गूजर पुत्र दयाकिशन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.05. 1976 है जबकि उक्त पदाधिकारी द्वारा भैरोलाल पुत्र दयाकिशन गूजर का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2011 है। दोनों मृत्यु प्रमाण पत्रों में मृत्यु का दिनांक में 35 वर्ष 01 माह 22 दिन का अंतर हे। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.06.2016 को जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र का नाम बदलकर गलत तिथि अंकित करके जारी किया गया है जो कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः पूर्णतः स्पष्ट है कि भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर नाम का ग्राम मरौना में कोई भी व्यक्ति नहीं था बल्कि भैरोलाल पुत्र दयाकिशन नाम का व्यक्ति था। जिसके पैरा संख्या 08 में जायज वारिसान है। दस्तावेंजों एवं मौके की जानकारी के अनुसार ग्राम मरौना का नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 काबिले खारिज योग्य है। अंत में ग्राम मरौना के नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.17 को काश्तकारों के हितों एवं राजस्व रिकॉर्ड में सही इन्द्राज वास्ते खारिज करवाये जाने एवं प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017, मृत्यु प्रमाण पत्र भौरु गुर्जर जारी दिनांक 27.06.2016, मृत्यु प्रमाण पत्र ल्हौरी जारी दिनांक 05.04.2017, मृत्यु प्रमाण पत्र भैंरोलाल जारी दिनांक 20.07.2011, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नींदर, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05.06.09, सजरा सरपंच ग्राम पंचायत बहादुरपुर की प्रति पंचनामा ग्राम पंचायत नींदर मूल, जमाबंदी संवत् 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2072–75 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मण्डरायल के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान ने वकालतन उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम मरौना तहसील मण्डरायल के नामांतरकरण की अपील रामफूल वगै. भौरू के वारिसान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल में उनवानी रामफूल वगै. बनाम ग्राम पंचायत नींदर वगै. मु. नं. 01/2018 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 17. 07.2019 को हो चुका है और उक्त नामांतरकरण निरस्त किया जा चुका है। इसलिए उक्त रेफरेन्स वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। यदि तथ्य गलत पाये जावे तो हम जवाबदारान उत्तरदायी होंगे। अंत में रेफरेन्स प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। ग्राम नींदर जमाबंदी संवत् 2044–47 में खाता संख्या 201 भैंरोलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम मजरा मरौना के खाते में किता–5 रकबा 12–11 बीघा कृषि भूमि अंकित थी। जमाबंदी संवत् 2048–2051 में ग्राम नींदर में खाता संख्या 203 किता 5 रकबा 12–11 बीघा भैरोलाल पुत्र दयाकिशन के बजाय सहवन लिपिकीय त्रुटि से भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम मजरा मरौना के नाम अंकित हो गयी थी। जमाबंदी संवत् 2052–55 में खाता संख्या 216 किता–5 रकबा 12–11 बीघा पूर्व जमाबंदी रोटेशन के अनुसार खातेदार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन निवासी ग्राम मजरा मरौना के नाम अंकित थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.

9(31)राज–1/06/21 दिनांक 05.06.2009 के अनुसार मुख्य ग्राम नींदर से मरौना नवीन राजस्व ग्राम सृजित हुआ था। संवत् 2072–75 में नवीन ग्राम मरौना सृजित होने से खाता संख्या 54 किता 5 रकबा 12–11 बीघा खातेदार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गुर्जर निवासी मरौना के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित था। ग्राम मरौना में नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 को राजस्व शिविर में भौरूलाल के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हो चुका था। मौके पर जानकारी करने पर पटवारी हल्का व भू–अभि. निरीक्षक तथा सरपंच ग्राम पंचायत नींदर के फर्द मौका अनुसार भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं था जबकि भौरूलाल पुत्र रतन गूजर नाम का व्यक्ति था जिसके कोई संतान नहीं थी। इसकी बहन बण्डो व ल्होरी थी जिनकी ससुराल बिसोरीबहादुरपुर में थी जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज वारिसाान शजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया जाकर राजस्व अभियान शिविर में दबाव बनाते हुए नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया गया था। भैरोलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर के जायज वारिसान रामफूल रामप्रसाद रामसिंह पुत्रान भैरोलाल भन्ती प्यारो पत्रियां भैरोलाल छगनी पत्नि स्व0 भैरोलाल है जो वर्तमान में सभी जीवित है। रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) पदाधिकारी ग्राम पंचायत नींदर द्वारा भौरू गूजर पुत्र दयाकिशन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.1976 है जबकि उक्त पदाधिकारी द्वारा भैरोलाल पुत्र दयाकिशन गूजर का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2011 है। दोनों मृत्यु प्रमाण पत्रों में मृत्यु का दिनांक में 35 वर्ष 01 माह 22 दिन का अंतर हे। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.06.2016 को जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र का नाम बदलकर गलत तिथि अंकित करके जारी किया गया है जो कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः पूर्णतः स्पष्ट है कि भौरूलाल पुत्र दयाकिशन जाति गूजर नाम का ग्राम मरौना में कोई भी व्यक्ति नहीं था बल्कि भैरोलाल पुत्र दयाकिशन नाम का व्यक्ति था। जिसके पैरा संख्या 08 में जायज वारिसान है। दस्तावेंजों एवं मौके की जानकारी के अनुसार ग्राम मरौना का नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 काबिले खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल द्वारा अपील संख्या 01/2018 उनवानी रामफूल वगै. बनाम ग्राम पंचायत नींदर में खारिज होना बताया है लेकिन समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः हम रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है एवं नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम मरौना तहसील मण्डरायल निरस्त करने की अनुशंषा की जाती है। स्वीकृति हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। उभय पक्षकारान दिनांक 04.05.2020 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:15:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: